

## भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है )

जनपद मुरादाबाद में टोरेट गैस प्रा0लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कांठ मार्ग (एस0एस0-49) किमी0 चैनेज 6.870 से 22.215 तक बायीं पटरी एवं किमी0 चैनेज 22.215 से 30.570 तक दांयी पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 1.4118 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के संबंध में (प्रस्ताव सं0 एफपी/यू0पी0/pipeline/49544/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी 67/81-2-2021-

800(81)/2021, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 के द्वारा

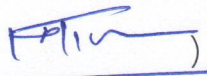
प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के

आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

31.12.2021

(  )

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर  
(आशीष तिवारी)

सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु  
परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश सरकार।

दिनांक :-